हम क्या कर सकते हैं :-

- बाल विवाह को :''ना'' कहें ।
- समय रहते सूचना दें
- बेटियों को पढ़ायें
- जागरूकता फैलायें
- बच्चे के स्कूल से अनुपस्थित होने पर शिक्षक उनके परिवार से संपर्क अवश्य करें।

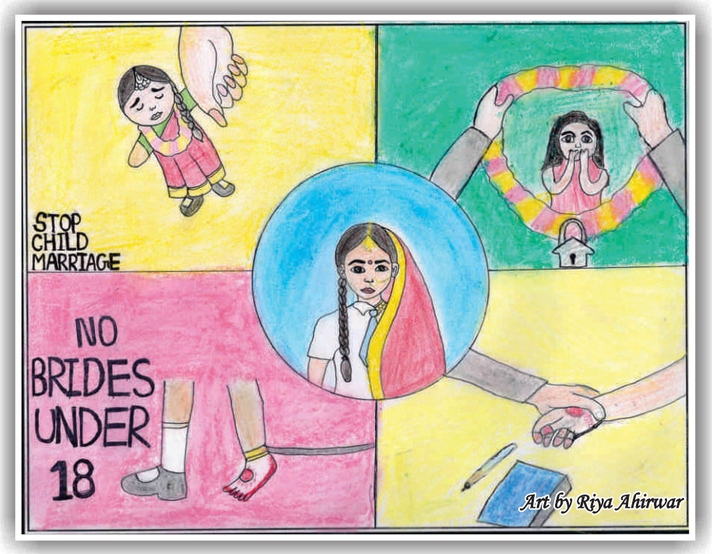

सूचना कहां दे :-

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाईन नंबर 15100
- चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098
- महिला हेल्पलाईन नं. 181
- नजदीकी पुलिस थाना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
- तहसील विधिक सेवा समिति, पैरालीगल वालेंटियर्स, बाल कल्याण समिति

''बचपन को बंधनों में जकड़ना मानवता की रचनात्मक शक्ति को कुचलना है''

- रविन्द्र नाथ टैगौर

बाल विवाह क्या है?

यदि लड़की का 18 वर्ष से और लड़के का 21 वर्ष से पहले विवाह कर दिया जाता है, तो यह बाल विवाह है। बाल विवाह अपराध है और बाल अधिकारों का उल्लंघन है।

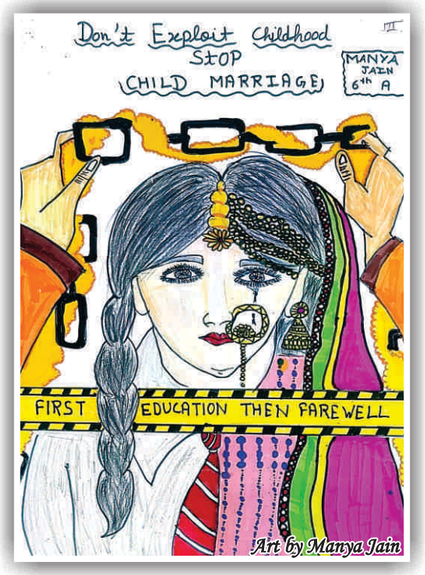

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अनुसार जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क सदस्य होते हुए बाल विवाह करेगा, वह दो वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

जो बाल विवाह करायेगा, संचालित करेगा या बाल विवाह में शामिल होगा, या अनुमति देगा, या उसका दुष्प्रेरण करेगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 के अनुसार उसे भी यही दण्ड है।

बाल विवाह के दुष्परिणाम :-

- कम उम्र में गर्भधारण से जान का खतरा
- मां और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि
- बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों प्रभावित
- आत्मनिर्भर बनने के अवसर कम
- बचपन का अंत
- डर, तनाव, अवसाद

''बाल विवाह बच्चों के प्राकृतिक विकास के विरूद्ध एक सामाजिक अपराध है''

- महात्मा गांधी

बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश अभियान

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

बच्चों को पति/पत्नी नहीं बनाना है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सपने देना है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष : 0761 2678352, 2624131
वेबसाईट : www.madhyapradesh.nalsa.gov.in
ईमेल : mplsajab@nic.in
Toll Free : 15100

बचपन सुरक्षित - समाज सुरक्षित

नालसा-आशा (जागरूकता समर्थन, सहायता और कार्यवाही) इकाई

ASHA Unit

आशा इकाई, कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हुए पीड़ितों को सहायता प्रदान करते हुये बाल विवाह को रोकने हेतु कार्य करती है।

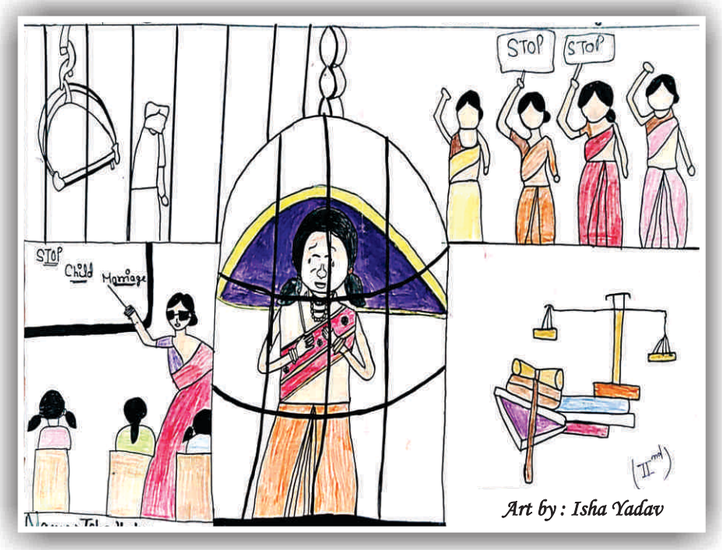

Art by : Isha Yadav

कौन जिम्मेदार

- माता-पिता
- परिवार
- समाज
- शिक्षक
- पंचायत, समुदाय
- हर व्यक्ति जिसे जानकारी है,
- आप और हम सभी

बाल विवाह-अमान्य, अनैतिक, अस्वीकार्य एवं अपराध

विधिक प्रावधान

धारा 13 - अगर कोई पुरूष जो 21 वर्ष से कम है या लड़की जो 18 वर्ष से कम है, का विवाह होने वाला हो, या हो रहा हो या हो चुका हो तो न्यायालय उसे रोकने या रद्द करने का आदेश दे सकती है।

बाल विवाह की तैयारी चल रही है या बाल विवाह हो रहा है तो न्यायालय (प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट) तुरंत बंद करा सकता है।

धारा 15- अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

किसके कहने पर कार्यवाही हो सकती है

- पीड़ित बच्चा या बच्ची।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी।
- किसी भी व्यक्ति के परिवाद पर।
- अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर-गैर सरकारी संगठन।
- न्यायालय स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकती है।

अगर कोई बाल विवाह रोकने के आदेश का उल्लंघन करता है, तो कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो व जुर्माना एक लाख रूपये तक का हो सकेगा ।

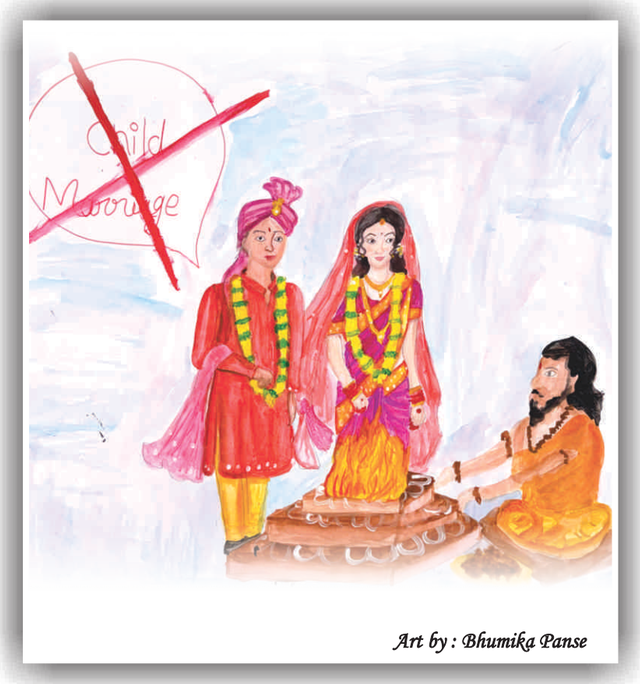

Art by : Bhumika Panse

बाल विवाह समस्या के साथ अपराध भी है।

बाल विवाह के विरूद्ध हमारे प्रयास

राजगढ़ जिले में 12 वर्ष की बालिका का विवाह उसके मौसा द्वारा किया जा रहा था, बचपन में ही रिश्तेदारों द्वारा विवाह तय किया गया था इस कारण लड़के के परिवार वाले दबाव बना रहे थे, विवाह नहीं करने पर 15 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, माता-पिता मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहे थे, पुलिस में शिकायत की लेकिन डर के कारण गांव छोड़ अन्यत्र चले गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर बालिका के पिता से संवाद किया, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, डिफेंस काउंसिल की कार्यवाही पर न्यायालय से विवाह रोकने हेतु व्यादेश जारी किया गया।

राजगढ़ जिले की तहसील खिलचीपुर में बालिका की मां किसी प्रकरण में जेल में बंद थी, रिश्तेदार उसकी 17 वर्ष की बच्ची का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सामुहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करा रहे थे, जेल भ्रमण के दौरान माँ से जानकारी प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पैरा लीगल वालेंटियर की सहायता से लड़की को ढूंढा और उसका विवाह रोक कर उसका भविष्य सुरक्षित किया।

हमारे प्रयासों से इन बालिकाओं का विवाह ही नहीं रोका गया वरन् इन सफल कहानियों के प्रकाशन से बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता की लौ भी जली।

बचपन विवाह से बड़ा है

बाल विवाह को बढ़ावा देना या मौन समर्थन करना, विधिक दायित्वों का उल्लंघन है।

बचपन की सुरक्षा हमारा, आपका और विधि का दायित्व है।